कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. –07752–493695

क / अशास. / मान्य.नवीनी. / Mungeli-E / 2021–22 / 20– 443 **बिलासपुर,दि.** 12-04-2022

प्रति,

प्रबंधक / प्राचार्य
त्रिमुर्ति पब्लिक स्कूल सरगॉव
वि.खं – पथरिया
जिला – मुंगेली (छ.ग.)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र. दि. 28.02.2022।

संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आपकी संस्था में सत्र 2015–16 से हाई स्कूल स्तर की कक्षाएं एवं वर्तमान में हायर सेकेण्डरी स्तर की कक्षाएं संचालित की जा रही है, परन्तु आपके द्वारा तत्समय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित करने हेतु मान्यता नहीं ली गई है। ततसंबंध में आपके संस्था को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 95000.00 (रुपयें पन्चानबे हजार मात्र) शासन के निर्धारित हेड में चालान के माध्यम से आपके द्वारा जमा करने एवं निरीक्षण टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आपकी संस्था **त्रिमुर्ति पब्लिक स्कूल सरगॉव वि.खं – पथरिया, जिला – मुंगेली (यू डाइस कोड – 22192109014) अंग्रेजी माध्यम** को **सत्र 2014–15** से **सत्र 2022–23** तक कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षा संचालित करने की कार्योत्तर मान्यता प्रदान करते हुए सत्र 2024–25 तक मान्यता नवीनीकरण की संसूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश कमांक एफ. –02–39 / 2019 / 20 –दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :–

<u>मान्यता / नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते</u>

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी / विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की **धारा 19** में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन–प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।

- खेल का मैदान।
- प्राचार्य / प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक – पृथक कक्ष।
- स्टाफ,छात्र,छात्राओं के लिये पृथक – पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र,
- बाधारहित पहुंच मार्ग , आदि
- क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय / प्रयोग शाला की पृथक – पृथक उपलब्धता।

6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण / आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
8. आपके विद्यालय को **यू डाईसं – 22192109014** को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय / संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन / नवीनीकरण होना आवश्यक है।
11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / वि.खं. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगें।
12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

पृ. क / अशास. / मान्य.नवीनी. / Mungeli-E / 2021–22 / 20–443 A बिलासपुर,दि. 12-04-2022

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

TRIMURTY PUBLIC SCHOOL

CBSE Affiliated English Medium School
AFFILIATION NO. 3330188
SCHOOL CODE - 15262

Bilaspur Raipur National Highway,
Sargaon Nagar Panchayat (C.G.)
Tel: +91 9755380108, 9685624244, 9755381027
tps.sargaon@gmail.com, Web : www.trimurtyps.com

Ref.No.:G093/TPS/2024-25/

Date : 31/03/2025

प्रति ,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)।

विषय – मान्यता नवीनीकरण बाबत्।

महोदय ,

विषयांतर्गत लेख है कि हमारा त्रिमुर्ति पब्लिक स्कूल की मान्यता क्र./अशास./मान्य.नवीनी./मुंगेली–ई/2021–22/20/443 की मान्यता (2024–25) समाप्त होने वाली है, जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त स्कूल की मान्यता नविनीकरण करने की कृपा करें। स्कूल की मान्यता नवीनीकरण हेतू निम्न दस्तावेज संलग्न है, जिसकी सूचि निम्नानुसार है।

संलग्न

1 प्रारूप (1)।
2. स्कुल मान्यता प्रति (पुर्व मान्यता)।
3 समिति पंजीयन (छाया प्रति)।
4 समिति नियमावली (छाया प्रति)।
5 समिति का शपथ पत्र (स्टाम्प 20 रू.)।
6 शिक्षा का अधिकारी हेतु (स्टाम्प 20 रू.) ।
7 प्रारूप (ख) घोषणा पत्र (स्टाम्प 100 रू.)।
8 प्रारूप (ग) घोषणा पत्र (स्टाम्प 250 रू.)।
9. प्रारूप (क) घोषणा पत्र (स्टाम्प 250 रू.)।
10. ग्राम पंचायत अनुमति (छायाप्रति)।
11. संयुक्त संचालक सह स्कुल नवीनीकृत एफ.डी (सावधी) छायाप्रति।
12 भवन का मानचित्र छायाप्रति।
13 भवन का खसरा बी – वन।
14 शिक्षकों की सूचि (प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेन्ड्री)।
15. क्रिड़ा एवं खेल सामाग्री सूचि।
16 अध्यन पठन सामाग्री सूचि।
17. स्कूल फोटो।
18 पुर्व 3 वर्षो की आय व्यय विवरण।

जिला शिक्षा अधिकारी
01/04/20
जिला–मुंगेली(छ.ग.)

प्रधान पाठक
Principal
Trimurty Public School
Sargaon, Distt. Mungeli (C.G.)

अध्यक्ष
त्रिमूर्ती एजुकेशनल सोसायटी,
पथरिया रोड, सरगांव, जि.–मुंगेली (छ.ग.)